

डाक-ज्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम.पी.)



ने हेतु अग्रेषित.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 1997—माघ 11, शक 1918

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 1997

फा. क्र. सी-3-2-97-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा "मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण, दिनांक 1 नवम्बर 1996 में प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी. 3-11-96-3-एक, दिनांक 1 नवम्बर 1996 द्वारा जारी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (लोक सेवाओं और पदों में महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1996 को अतिष्ठित करते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य के कार्यकलाप के संबंध में, लोक सेवा तथा पदों पर नियुक्त महिलाओं की सीधी भरती के लिये पदों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 है.

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. विस्तार और लागू होना.—किन्हीं भी सेवा नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम राज्य के कार्यकलापों के संबंध में लोक सेवा तथा पदों पर समस्त व्यक्तियों को लागू होंगे.

3. महिलाओं के लिये पदों का आरक्षण.—किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भरती के प्रक्रम पर, महिलाओं के पक्ष में समस्त पदों के तीस प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्त और प्रभागवार (हारिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा.

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिये "समस्तर और प्रभागवार आरक्षण (हारिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज रिजर्वेशन)" से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रवर्ग, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य प्रवर्ग में आरक्षण.

4. आयु शिथिलीकरण.—किन्हीं सेवा नियमों या कार्यकारी निर्देशों में विहित उच्चतर आयु सीमा के साथ-साथ राज्य के अधीन सेवा में समस्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए महिला अभ्यर्थियों की आयु दस वर्ष शिथिलनीय होगी.

5. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—यदि इन नियमों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो उसे राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शरद चन्द्र पण्ड्या, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 1997

फा. क्र. सी-3-2-97-3-एक.- -भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना, क्र. सी-3-2-97-3-एक, दिनांक 7 फरवरी 1997 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शरद चन्द्र पण्ड्या, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th February 1997

F. No.C-3-2-97-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for appointment of women in the Public Services and posts) Rules, 1996 issued vide General Administration Department Notification F. No. C-3-11-96-3-I, dated the 1st November 1996 published in the "Madhya Pradesh Gazette" Extraordinary, dated the 1st November 1996, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to reservation of posts in direct recruitment for women in Public Service and posts in connection with the affairs of the State, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for appointment of women) Rules, 1997;

(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in Madhya Pradesh Gazette.

2. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in any service Rules, these rule shall apply to all persons to public service and posts in connection with the affairs of the State.

3. **Reservation of posts for women.**—Notwithstanding anything contained in any service Rules, there shall be reserved thirty percent of all posts in the service under the State in favour of women at the stage of direct recruitment and the said reservation shall be horizontal and compartmentwise.

Explanation.—For the purposes of this rule "horizontal and compartmentwise reservation" means reservation in each category, namely, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and General.

4. **Age Relaxation.**—There shall be age relaxation of ten years for women candidates for direct appointment in all posts in the services under the State in addition to the upper age limit prescribed in any service rules or executive instructions.

5. **Power to remove difficulties.**—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, it shall be referred to the State Government in the General Administration Department whose decision thereon shall be final.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHARAD CHANDRA PANDYA, Addl. Secy.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर 2015—कार्तिक 26, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. सी-3-8-2015-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

- (1) किन्हीं सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भरती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (हॉरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. सी-3-8-2015-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

Bhopal, the 17th November 2015

No. C-3-8-2015-ONE-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

- “(1) Notwithstanding anything contained in any Service rules, there shall be reserved thirty three percent of all posts in the service under the State (except Forest Department) in favour of women at the stage of direct recruitment and the said reservation shall be horizontal and compartment-wise.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

C. B. PADWAR, Dy. Secy.